स्वामी केशवानन्द

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

कमाकः एफ 4(1–आर)( )/एसकेराकृवि/सी/2023/ 294 दिनांकः 13.6.2023

अधिसूचना

शासन सचिव वित (बजट), राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प. 13(12)/वित(नियम)/2021 दिनांक 20.4.2023 के कम में प्रशासनिक विभाग (कृषि गुप–3) राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति कमांक प.8(10)/कृषि–3/2022 दिनांक 26.5.2023 की अनुपालना में विश्वविधालय प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 27.5.2023 के मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम–112/2023–3/1476(1) में पारित प्रस्ताव को विश्वविद्यालय में शब्दशः अंगीकृत किये जाने के निर्णय के क्रम में दिनांक 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों/सेवानिवृत कार्मिकों के लिए, नवीन पेंशन योजनाके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(बी,एल. सर्वा)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप शासन सचिव, कृषि ग्रुप – 3, राजस्थाान सरकार, जयपुर ।
2. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे. निदेशक/प्रभारी अधिकारी/डी.डी.ओ. .....
3. कुलसचिव, एसकेराकृवि,बीकानेर
4. कोषाधिकारी, ,एसकेराकृवि,बीकानेर
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर ।
6. अनुभाग अधिकारी, पेंशन शाखा, को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली

वित्त नियंत्रक

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021 जयपुर, दिनांक : 20 APR 2023

आदेश

विषय: राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों / विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/ विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय की पालना के संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. प्रशासनिक स्वीकृतियाँ एवं अनुमोदन –

1.1 राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों आदि के संबंध में दिशा–निर्देश राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

1.2 राजकीय उपक्रमों के क्षेत्राधिकार में नहीं आने वाले संस्थाओं के लिये दिशा–निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

1.3 राजकीय उपक्रम विभाग/प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी होने के उपरान्त संबंधित संस्था सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर इसे अंगीकृत करने की कार्यवाही करेगी।

1.4 यदि संस्था को संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता हो तो, अनुमोदन प्राप्त कर तत्पश्चात् संस्था इसे अंगीकार करने की कार्यवाही करेगी।

1.5 संबंधित संस्था राज्य सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश तथा इसे संबंधित संस्था में अंगीकार करने के निर्णय से PFRDA को अवगत कराया जायेगा। दिनांक 01.04.2023 से एन.पी.एस की नियोक्ता अंशदान के रूप में कोई भी कटौती नहीं की जायेगी।

2. GPF linked Pension Scheme तथा उसके अन्तर्गत पेंशन निधि –

2.1 सभी संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू की जायेगी।

2.2 जिन संस्थाओं में पूर्व से ही GPF linked Pension Scheme लागू है तथा पेंशन निधि गठित है, उन्हें नवीन पेंशन निधि गठित करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते में ही संधारित की जाये। यदि पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते के अलावा अन्यत्र संधारित है, तो उसे राज्य सरकार के पी.डी. खाते में संधारित किया जायेगा।

2.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना हेतु GPF linked Pension Scheme लागू करने हेतु विनियम बनाये जा कर पेंशन निधि का गठन किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के स्तर से भी पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते में ही संधारित की जायेगी।

2.4 जिन संस्थाओं में कार्मिकों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण अलग से पेंशन निधि का गठन एवं संचालन करना व्यवहारिक न हो, उन संस्थाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से किसी एक संस्था (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की भांति) को सभी संस्थाओं हेतु GPF linked Pension Scheme लागू करने तथा तदानुसार अधिकृत संस्था के स्तर पर पेंशन निधि के गठन एवं संचालन हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

3. GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते –

3.1 राज्य सरकार द्वारा बोर्ड/निगम आदि को मंहगाई भत्ता एवं तदर्थ बोनस/एक्स–ग्रेसिया की राशि के आदेशों में यह शर्त उल्लेखित थी कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरियर राशि में "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित की जायेगी। "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" की कटौती का प्रावधान **"राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम–2021"** के अन्तर्गत उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में सभी संस्थाओं के कार्मिकों के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" के खाते राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग में पूर्व से ही संधारित किये जा रहे है।

3.2 भविष्य में GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते **"राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम–2021"** के अन्तर्गत शासित होगे तथा इस हेतु जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू है, उन संस्थाओं में जी.पी.एफ से सम्बन्धित विनियमों में आवश्यक संशोधन किया जाकर कार्मिक अंशदान की राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा कराने का प्रावधान किया जायेगा।

3.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा GPF linked Pension Scheme लागू करनें तथा "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में राशि जमा कराने हेतु विनियम बनाये जा कर इस हेतु प्रावधान किया जायेगा।

3.4 सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में कार्मिकों की राशि जमा करने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं और प्रकियाएं निर्धारित की जायेगी।

4. पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प –

4.1 संस्था के स्तर पर आवश्यक स्वीकृतियाँ तथा GPF linked Pension Scheme संशोधनों सहित लागू होने पर सेवानिवृत कार्मिकों से पुरानी पेंशन योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में संबंधित संस्था के प्राधिकृत अधिकारी को दिनांक 30–6–2023 तक पुरानी पेंशन योजना के पुनर्विकल्प/विकल्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

4.2. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प / विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, यह माना जायेगा कि वह NPS का ही सदस्य बना रहना चाहते हैं।

4.3 सेवा से निष्कासित, सेवा से हटाये गये, सेवा से त्यागपत्र देने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के विकल्प की सुविधा नहीं होगी।

5. सेवानिवृत कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने के साथ जमा कराये जाने वाली राशि–

5.1 जिन संस्थाओं में दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिक दिनांक 31–3–2023 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होंगे, उन सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा दिनांक 30–6–2023 तक विकल्प प्रस्तुत करने पर तथा प्राप्त की गई समस्त राशि मय समय समय पर प्रचलित जीपीएफ ब्याज दर के साथ ब्याज सहित एक मुश्त संबंधित संस्था के पेंशन निधि खाते में जमा कराने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिनांक 1–4–2023 से देय होगा। यदि वेतन में संशोधन के कारण प्राप्त की गई राशि में संशोधन होता है तो तदानुसार नियोक्ता अंशदान की कटौती की अन्तर राशि भी उपरोक्तानुसार ब्याज दर के साथ एकमुश्त जमा करानी होगी।

5.2 यदि सेवानिवृत कार्मिक द्वारा कार्यरत अवधि के दौरान एन.पी.एस से नियोक्ता अंशदान की राशि का अन्तिम प्रत्याहरण किया है तो, प्रत्याहरण की तिथि से पेंशन निधि में राशि जमा कराने की तिथि तक आहरित की गई समस्त राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।

5.3 पारिवारिक पेंशन हेतु GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत पेंशन विनियमों में मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित भी विकल्प परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेंगे।